न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 58/2019

उनवान

परखु पिता श्री रूपा, जाति चमार, निवासी लोहारिया, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।

—: अपीलाण्ट्

बनाम

(1) ग्राम पंचायत मार्फत सरपंच, ग्रारम पंचायत लोहारिया पंचायत समिति गढ़ी।
(2) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: रेस्पोडेण्ट्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एंव संशोधित वाद अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियत

निर्णय

दिनांकः 9.2.2021

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि मूल खातेदार धुलिया पिता कचरा चमार, निवासी लोहारिया के खाते और कब्जे की कृषि भूमि गांव मोटावाडा, पटवार हल्का लोहारिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पालोदा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है, जिसका खाता संख्या नया 210, पुराना 197 के सर्वे नम्बर 1187, रकबा 0.12 व सर्वे नम्बर 8552/1236 रकबा 0.4 व सर्वे नम्बर 8553/1237, रकबा 0.04, कुल खेत नंग 3, कुल रकबा 20, कुल लगान 2.04, ग्राम मोटावाडा, पटवार हल्का लोहारिया, तहसील गढी, जिला बांसवाडा में स्थित है एवं मृतक रूपा के मूल खातेदार धुलिया के दो पुत्र रूपा व लालजी थे एवं रूपा की मृत्यु के बाद उसके तीन पुत्र देवु, परखु व नानु है, जो मूल खातेदार रूपा की मृत्यु के बाद विधिवत मृतक रूपा के वारिसान के नाम खाता दर्ज करने के लिये ग्राम पंचायत लोहारिया में हल्का पटवारी द्वारा ग्राम पंचायत में म्युटेशन भरकर पेश किया, जिसमें रूपा के तीन पुत्र देवु, प्रकाश, नानु बताये गये है एवं इनके नाम से म्युटेशन संख्या 77 दिनांक 19.06.2000 को खोला गया है, तद्नुसार उक्त खाते में तीनो व्यक्तियों का नाम दर्ज रेकार्ड हुआ है एवं रूपा के खाते और कब्जे की भूमि का उसके नियमानुसार बंटवारा भी आपसी सहमति से हो चुका है एवं प्रकाश, देवु व नानु के नाम से अलग–अलग खाता दर्ज हो चुका है, परन्तु ग्राम पंचायत ने सेहवन से गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट ने गलत तरीके से प्रकाश पिता रूपा के नाम से उक्त म्युटेशन खोला है, जबकि रूपा का प्रकाश नाम का कोई पुत्र नहीं है एवं उसका पुत्र परखु अपीलान्ट है, उसके स्थान पर प्रकाश दर्ज कर दिया गया है। उक्त गलत म्युटेशन खोलने के विरूद्व आप न्यायालय में यह अपील पेश है। मूल खातेदार धुलिया पिता कचरा, जाति चमार, निवासी लोहारिया जिसके नाम से गांव मोटावाडा, लोहारिया, तहसील गढी, जिला बांसवाडा में खाते और कब्जे की कृषि भूमि है एवं मूल खातेदार धुलिया की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र रूपा और लालजी के नाम नियमानुसार खाता दर्ज किया गया एवं उक्त मृतक के खाते की कृषि भूमि का आपस में आपसी सहमति से दोनो पुत्र रूपा और लालजी का मूल खातेदार धुलिया की भूमि का आपस में बंटवारा हो गया तथा बंटवारा होने के बाद रूपा के हिस्से में आई हुई भूमि रूपा की मृत्यु के बाद उसके तीन पुत्र देवु, परखु व नानु का नाम खाता दर्ज रेकार्ड करने के लिये ग्राम पंचायत में हल्का पटवारी द्वारा म्युटेशन भरकर पेश किया गया, परन्तु म्युटेशन में परखु के स्थान पर प्रकाश लिख दिया गया है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जरिये म्युटेशन संख्या 77 दिनांक [illegible] के मृतक रूपा के वारिसान के रूप में देवु, प्रकाश व नानु के नाम से खाता दर्ज रेकार्ड कर [illegible] है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने परखु के स्थान पर प्रकाश लिखकर गलत [illegible] दिया गया है। इसलिए प्रार्थी अपीलान्ट को उक्त बात की जानकारी [illegible] में ग्राम पंचायत के [illegible] अपील पेश कर रहा है। प्रार्थी अपीलान्ट को राजस्व अधिकारी [illegible] पटवारी द्वारा राजस्व रेकार्ड [illegible] नकल लेने से उसे उक्त तथ्य की जानकारी हुई कि खाते में परखु के स्थान पर प्रकाश दर्ज हो गया है, जिस पर अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से नामान्तरण संख्या 77 की नकल व नामान्तरण संख्या 331/1 दिनांक 18.01.2005 की नकल दिनांक 10.01.2019 को प्राप्त की गयी एवं आप न्यायालय में उक्त गलत खोले

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

गये म्युटेशन को निरस्त करने और रेस्पोडेन्ट जो कि मृतक रूपा का दो अन्य पुत्र देवु व नानु के अलावा पुत्र है एवं प्रकाश नाम का कोई पुत्र मृतक रूपा खातेदार का नहीं है। इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा उक्त म्युटेशन की प्रति जो कि गलत नाम दर्ज हुआ है उसे निरस्त कर अपीलान्ट के नाम खाता दर्ज करने हेतु यह अपील आप न्यायालय में पेश है। रूपा के तीन पुत्र देवु, नानु और परखु के बीच आपसी बंटवारे से खाता अलग–अलग हो चुका है, जिसमें अपीलान्ट परखु के नाम खाता संख्या नया 210, पुराना 197 के सर्वे नम्बर 1187, रकबा 0.12 व सर्वे नम्बर 8552/1236 रकबा 0.4 व सर्वे नम्बर 8553/1237, रकबा 0.04, कुल खेत नंग 3, कुल रकबा 20, कुल लगान 2.04, ग्राम मोटावाडा, पटवार हल्का लोहारिया, तहसील गढी, जिला बांसवाडा में स्थित है, हिस्से में आई है, जिस पर अपीलान्ट परखु निर्विवाद रूप से काश्त करता आ रहा है, परन्तु गलत म्युटेशन खोलने के कारण अपीलान्ट परखु की जगह प्रकाश नाम खाते में दर्ज हो गया है उसे निरस्त करने और खाते में प्रकाश के स्थान पर परखु दर्ज करने हेतु यह अपील आप न्यायालय में पेश है। प्रार्थी अपीलान्ट को उक्त तथ्य की जानकारी पूर्व में नहीं थी, उसे अभी लगभग एक–दो माह पूर्व पटवारी हल्का द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी होने से नियमानुसार उक्त म्युटेशन की नकल दिनांक 10.01.2019 को पटवारी द्वारा प्राप्त करने से नियमानुसार अन्दर म्याद जानकारी प्राप्त होने के बाद आप न्यायालय में यह अपील पेश हुई।

अपीलाण्ट् की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट् के नाम सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोडेण्ट् की तरफ से जवाब प्रस्तुत होकर खाता संख्या नया 210, पुराना 197 के सर्वे नम्बर 1187, रकबा 0.12 व सर्वे नम्बर 8552/1236 रकबा 0.4 व सर्वे नम्बर 8553/1237, रकबा 0.04, कुल खेत नंग 3, कुल रकबा 20, कुल लगान 2.04, ग्राम मोटावाडा, पटवार हल्का लोहारिया, तहसील गढी, जिला बांसवाडा में स्थित है एंव इस खातें में प्रकाश के स्थान पर परखु पिता रूपा किया जाना उचित बताया। तत्पश्चात् प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सम्मिलित किये जाने निवेदन किया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, गढ़ी से रिपोर्ट लि जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत होकर कथन किया गया कि ग्राम मोटावाड़ा के नामान्तरकरण संख्या 77 से खाता संख्या 195 व 248 में रूपा पिता धुलिया की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी देवु, प्रकाश, नानु पिता रूपा जाति चमार के नाम दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा वक्त नामान्तरकरण अपना नाम प्रकाश दर्ज करवाया गया। लोकिन प्रार्थी के राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान–पत्र, आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम परखु पिता रूपा चमार दर्ज होना अवगत कराया।

प्रकरण में वादी अभिभाषक की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन् करने तथा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न नकल नामान्तरकरण संख्या 77, 231/1, 231/2, नकल जमाबन्दी संवत 2069 से 2072, निर्वाचन पहचान–पत्र, आधार कार्ड तथा ग्राम पंचायत लोहारियों के सरपंच/तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का लोहारिया के मौजा मोटावाड़ा की खाता संख्या 210 (नई) 197 (पुरानी) में दर्ज प्रकाश पिता रूपा चमार के स्थान पर परखु पिता रूपा चमार किया जाना न्यायोचित है।

अतः पटवार हल्का लोहारिया के मौजा मोटावाड़ा की खाता संख्या 210 (नई) 197 (पुरानी) में दर्ज प्रकाश पिता रूपा चमार के स्थान पर परखु पिता रूपा चमार बाकि बदस्तुत दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner